

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-4

संख्या-516/दो-4-2019-32(1)/2019 टी0सी0

लखनऊ दिनांक 09 अगस्त, 2019

विज्ञापित/नियुक्ति

महानियन्त्रक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-293/एस एण्ड ए/2019 दिनांक 26-07-2019 द्वारा उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2018 (पार्ट-2) के संवध में प्राप्त संस्तुति के क्रम में नियुक्ति अनुभाग-4 की विज्ञापित/नियुक्ति संख्या-486/दो-4-2019-32(1)/2019 टी0सी0, दिनांक 06-8-2019 द्वारा प्रोन्नत न्यायिक अधिकारियों के नियुक्ति आदेश निर्गत किये गये थे।

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2018 (पार्ट-2) में चयनित सीधी भर्ती के 38 अभ्यर्थियों में से 08 अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन संबंधी समस्त औचारिकता पूर्ण होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 (यथासंशोधित) के नियम-18, 20 एवं 21 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 (यथासंशोधित) के नियम-22(1) के अन्तर्गत प्रस्तर-3 एवं 4 में उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन निम्नलिखित 08 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति एतद्वारा प्रदान करते हैं--

क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	मूल सूची का क्रमांक
1-	4245	पिन्कू कुमार	47
2-	3684	नम्रता अग्रवाल	119
3-	2568	जितेन्द्र गुप्ता	179
4-	7418	दिनोद कुमार	187
5-	1181	अशोक कुमार यादव	171
6-	2624	जितेन्द्र यादव	142
7-	6338	शाश्वत पाण्डेय	94
8-	6356	शेष बहादुर निषाद	154

3- महानियन्त्रक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-293/एस एण्ड ए/2019 दिनांक 26-07-2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/सूची के क्रमांक-02 पर श्री प्रकाश चंद्र राणा, क्रमांक-07 पर श्री जुनैद मुजफ्फर, क्रमांक-11 पर शिरीन जैदी, क्रमांक-22 पर श्री अमरेंद्र कुमार शर्मा, क्रमांक-31 पर श्री उत्कर्ष यादव, क्रमांक-39 पर श्री श्याम मोहन जायसवाल, क्रमांक-42 पर श्री नीरज कुमार उपाध्याय, क्रमांक-51 पर श्री मुकुन्द कुमार, क्रमांक-59 पर सुश्री कल्पना पाण्डेय, क्रमांक-67 पर श्री पंकज कुमार श्रीवारतव, क्रमांक-71 पर श्री ओम प्रकाश मिश्रा, क्रमांक-74 पर श्री गोविन्द मोहन, क्रमांक-82 सुश्री नीलम ढाका, क्रमांक-87 पर श्री नवल किशोर सिंह, क्रमांक-91 पर श्री नीरज कुमार महाजन, क्रमांक-99 पर श्री ओमकार शुक्ला, क्रमांक-107 पर श्री ओम प्रकाश, क्रमांक-111 पर श्री नितिन कुमार टाकुर, क्रमांक-114 पर श्री कनिष्क कुमार सिंह, क्रमांक-122 पर सुश्री नसीमा, क्रमांक-127 पर सुश्री अनीता, क्रमांक-131 पर सुश्री निधि, क्रमांक-147 पर सुश्री शिवा आर्या, क्रमांक-159 पर जैनुद्दीन अन्सारी, क्रमांक-162 पर श्री काशिक शैख, क्रमांक-167 पर श्री दिनोद कुमार, क्रमांक-174 पर गीता सिंह, क्रमांक-182 पर निजेन्द्र कुमार, क्रमांक-191 पर श्री गौरव चौधरी और क्रमांक-194

पर अंकित श्री अनिल कुमार वर्मा, (कुल-30) जो सीधी भर्ती के अभ्यर्थी हैं, की नियुक्ति सम्बन्धी औपचारिकताएँ पूर्ण होने पर इनके आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। उक्त के अतिरिक्त महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित 236 अभ्यर्थियों की सूची में सीधी भर्ती के 11 पद मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षित किये गये हैं। 01 पद क्रमांक-69 (प्रोन्नति) मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 (यथासंशोधित) के नियम-5(ए) के अधीन Sealed cover में रखा गया है। मा0 उच्च न्यायालय से उपरोक्त 11+01 पदों की संस्तुतियां प्राप्त होने पर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

4- उपर्युक्त अभ्यर्थियों/न्यायिक अधिकारियों का रोरटर पूर्णतः अनन्तिम है, जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालयों में योजित याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय के स्तर से निर्धारित किया जायेगा तथा इनकी ज्येष्ठता भी मा0 उच्च न्यायालय के स्तर से बाद में निर्धारित की जायेगी।

5- उपर्युक्त प्रोन्नति/नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय में योजित संबंधित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। ऐसे समस्त न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच लम्बित है, सतर्कता जांच के निष्कर्ष के अधीन होगी।

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-516(1)/दो-4-2019-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

विशेष वाहक द्वारा -

- 1- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-293/एस एण्ड ए/2019 दिनांक 26-07-2019 के सन्दर्भ में इस विज्ञापित/नियुक्ति की 02 अभ्यर्थित प्रति सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन-पत्रों एवं उनके संलग्नकों सहित मूलरूप में तथा उपरोक्त अभ्यर्थियों के विषय में निकेतला परिषद की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मूलरूप में इस मन्तव्य के साथ प्रेषित के उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में बिना समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उस स्थिति में अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के सम्बन्ध में निर्गत होने वाले मा0 न्यायालय के आदेश की प्रति तथा अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय सहित सूचना शासन को कृपया तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
- 3- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
- 4- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 5- संयुक्त निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, प्रयागराज।
- 6- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 7- निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को उ0प्र0 गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।

- 8- सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है एवं अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर उनके द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों के अनुसार अपना योगदान प्रस्तुत करें। मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में यदि कोई अभ्यर्थी अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं, तो इसकी लिखित सूचना महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को तत्काल भेजें। उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थाई रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थी जबतक उच्चतर न्यायिक सेवा के पद पर स्थाई रूप से नियुक्त नहीं हो जाते हैं, तबतक अस्थाई कर्मचारियों पर लागू शासकीय सूचना संख्या-20/1/74 नियुक्ति-3, दिनांक 11-06-75 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगे। अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। (द्वारा - महानिबन्धक)
- 9- गार्ड फाइल।

Self attested
(ASHOK KUMAR YADAV-IV)

आज्ञा से,
(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
विशेष सचिव।